समक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

ओ.ए. 485 **सन् 2024**

डॉ. अजय कुमार एवं अन्य **.....आवेदक**

बनाम

भारत संघ एवं अन्य **.....प्रतिवादीगण**

(आदेश के अपालन के विरुद्ध कार्यवाही हेतु)

श्रीमान जी,

आवेदक निम्नलिखित निवेदन करता है:-

1. यह कि आवेदक ने उपरोक्त मूल आवेदन झांसी प्रशासन और विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की सह पर झांसी महायोजना-2021 में प्रस्तावित प्रखण्डीय पार्क की भूमि पर पर्यावरणीय क्षति पहुंचाते हुए किये जा रहे अनधिकृत/अवैध निर्माणों को हटाने/रोकने और पार्कों की भूमि के अनधिकृत/अवैध निर्माणों के प्रकरण में माननीय न्यायाधिकारण द्वारा पारित आदेशों का पालन कराने हेतु प्रस्तुत किया था।

2. यह कि अभिलेखों पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सामग्री के आधार पर माननीय न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिपक्षियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिनांक 30.07.2024 पारित किया था, जो प्रतिपक्षियों को तामील है इसके बावजूद प्रतिपक्षी संख्या 2, 3 और 5 से 10 की ओर से अपना जवाब दाखिल नहीं करके माननीय न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 30.07.2024 की जानबूझकर अवज्ञा कर रहे है।

3. यह कि ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय न्यायाधिकरण के आदेश को पूरा कराने के लिए क्षोभकर्ताओं के विरुद्ध बल प्रयोग हेतु माननीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्दिष्ट आदेश के बगैर प्रतिपक्षी माननीय न्यायाधिकरण के आदेश का पालन एवं हलफनामा दाखिल नहीं करेगें।

4. यह कि प्रतिपक्षी संख्या 2, 3 और 5 से 10 के द्वारा जानबूझकर हलफनामा दाखिल नहीं करके माननीय न्यायाधिकरण का कीमती समय नष्ट करने के साथ-साथ माननीय न्यायाधिकरण की घोर अवज्ञा की जा रही है। उपरोक्त प्रतिपक्षियों के द्वारा हलफनामा दाखिल न होने से प्रकरण की अग्रीम कार्यवाही बाधित हो रही है।

5. यह कि झांसी प्रशासन एवं विकास प्राधिकरण और नगर निगम के अधिकारियों की सह पर अराजक तत्वों द्वारा लगातार उपरोक्त प्रखण्डीय पार्क की भूमि पर अतिक्रमण कर पर्यावरणीय क्षति पहुंचाते हुए अनधिकृत/अवैध निर्माण किये जा रहे है।

6. यह कि उपरोक्त प्रखण्डीय पार्क में प्रस्तावित मौजा पिछौर में स्थित नगर निगम की भूमि (पहाड़) आराजी संख्या 1000m1386 (9.5260 हेक्टेयर) पर अराजक तत्वों द्वारा वर्ष 2018 से लगातार झांसी विकास प्राधिकरण और नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से उर्मिला हॉस्पिटल, रामा जैन क्लीनिक, राधे राधे हॉस्पिटल, रामराजा हॉस्पिटल और राजकिशोर विश्वकर्मा, जगदीश प्रसाद सोनी, अरविन्द वर्मा, शिवदयाल, दशरथ पटेल, रामश्री द्वारा हॉस्पिटल आदि के अवैध निर्माण किए जा रहे है। उक्त अवैध निर्माण कराने में उच्च अधिकारियों की संलिप्तता होने के कारण वर्ष 2018 से आज तक एक भी अवैध निर्माण को न तो रोका गया और न ही हटाया गया है। उक्त अवैध निर्माणों का उल्लेख नगर निगम की अवैध कब्जा सर्वे सूची दिनांक 18.10.2019 में किया गया है। जो संलग्न है।

7. यह कि विपक्षी संख्या 7 लगायत 10 ने उपरोक्त प्रखण्डीय पार्क की भूमि पर अवैध कॉलोनियां विकसित कर रहे भू-माफियाओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उपरोक्त प्रखण्डीय पार्क की भूमि के आराजी संख्या का आज तक सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं किया है। और न ही उपरोक्त प्रखण्डीय पार्क के अनधिकृत/अवैध निर्माणों को रोका एवं हटाया गया है।

जब कि माननीय न्यायाधिकरण, दिल्ली में योजित वाद संख्या-380/2018 पार्क एवेन्यू प्लाट होल्डर्स वेलफेयर सोसाइटी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेशों के पालनार्थ में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किये गये शासनादेशों में अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये गये है कि **महायोजनाओं में दर्ज हरित पट्टिका, पार्क, क्रीड़ा स्थल/खेल के मैदान आदि की भूमि के क्रय-विक्रय पर रोक लगाने एवं उनके अनाधिकृत/अवैध निर्माणों, अतिक्रमणों का सर्वे कर उनके विरुद्ध तत्काल रोकने/हटाने की कार्यवाही करें** तथा महायोजनाओं में प्रस्तावित पार्क, खुले क्षेत्र, हरित पट्टिका में पड़ने वाली भूमि के **आराजी संख्या, गाटा संख्या की सूची तैयार कर, उक्त सूची को जन-जागरूकता की दृष्टि से समाचार पत्रों में प्रकाशन** तथा जहां-जहां पार्क व हरित पट्टिका भूमि स्थित हो, पर होडिंग बोर्ड लगाया जाय तथा समस्त अभिकरणों द्वारा

अपनी अपनी बेवसाइट पर भी अपलोड कराया जाय। उपरोक्त शासनादेशों का विवरण मूल आवेदन के पैरा 5 में दिया गया है तथा संलग्न किये गये है।

8. यह कि झांसी प्रशासन, विकास प्राधिकरण, नगर निगम और संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के विरुद्ध जाकर उपरोक्त प्रखंडीय पार्क की भूमि के अनाधिकृत/अवैध निर्माणों को रोकने व हटाने के बजाये माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय न्यायाधिकरण के आदेशों की अवहेलना करते हुए अनाधिकृत/अवैध निर्माण करवाएं जा रहे है और इन अवैध निर्माणों का हाउस टैक्स नंबर जारी कर उन अवैध निर्माणों को बिजली, पानी की आपूर्ति, सड़क, सीवरेज इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

जबकि हाल ही में, राजेंद्र कुमार बड़जात्या और अन्य बनाम यूपी आवास एवं विकास परिषद और अन्य (दिनांक 17.12.2024 को तय, सिविल अपील संख्या 14604/2024) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष रूप से पूरे देश में सभी राज्य सरकारों को इस तरह के उल्लंघन को रोकने के लिए व्यापक जनहित में जारी किए गए विभिन्न दिशा-निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है। जिसमें कथित अनधिकृत और अवैध निर्माणों को रोकने/हटाने तथा अवैध निर्माणों को बिजली, पानी की आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन, आदि की रोक लगाने के निर्देश है।

प्रार्थना

अतः विनम्र निवेदन है कि आदेश दिनांक 30.07.2024 का अनुपालन कराने के लिए बल प्रयोग हेतु या अन्य आवश्यक साधनों के प्रयोग हेतु या दंडात्मक कार्यवाही का आदेश पारित करने की कृपा करें, क्योंकि प्रतिपक्षी संख्या 2, 3 और 5 से 10 को उक्त आदेश की जानकारी होने एवं नोटिस तामील होने के बावजूद माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपना हलफनामा दाखिल नहीं कर रहे है।

दिनांक 21.02.2025

प्रार्थी/आवेदनकर्ता
(डॉ. अजय कुमार)
ए-109, गंगोत्री कॉलोनी,
रुड़की रोड़, मेरठ, उत्तर प्रदेश। 250001
ई-मेल- dr.ajaykumar.rti@gmail.com
मो. 9808662200